## न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस**

**प्रकरण सं0 : 238/2018**

1. महेन्द्रसिंह पुत्र रामकुमार उर्फ रामकुवार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:— **वादी**

**ब ना म**

1. रामकुमार पि0मु0 चन्दुराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. राजेश पुत्र रामकुमार उर्फ रामकुवार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. विमला पुत्री रामकुमार उर्फ रामकुवार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
4. हरदेवी पुत्री रामकुमार उर्फ रामकुवार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
5. रोशनी पुत्री रामकुमार उर्फ रामकुवार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
6. एमजीबी शाखा अनुपशहर जरिये शाखा प्रबन्धक एमजीबी अनुपशहर भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री दीवानसिंह **: वादी**
वकील श्री योगेश शर्मा**: प्रतिवादीगण**

**निर्णय** **दिनांक :** 26/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 211/197 के खसरा स0 105 की 0.1140है0 खसरा स0 121 की 4.4900है0 खसरा स0 414 की 2.3530है0 खसरा स0 608 की 0.0630है0 कुल 7.0200है0 बारानी खातेदारी व इसी प्रकार रोही मालकस के खाता सं0 121/113 के खसरा स0 93 की 13.4940है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 01 रामकुमार उर्फ रामकुवार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा चन्दूराम की खातेदारी हुआ करती थी। चन्दूराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार उर्फ रामकुवार ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की [illegible] रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ [illegible] लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि[illegible] जाकर प्रतिवादीगण [illegible]रिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 6 को वकील वादी



Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] पत्रावली 1, [illegible] पत्रावली 4 ता 7 [illegible] पत्रावली 10 [illegible] रामकुमार उर्फ रामकृपाल [illegible] प्रतिवादी सं0 01 को [illegible] पत्रावली 4 ता 9 में अंकित है जिसमें [illegible] पत्रावली 1 में वादिया प्रमाण के अनुसार रामकुमार उर्फ रामकृपाल [illegible] राजेश व तीन पुत्रियां [illegible] अंकित है। ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र व पुत्री के [illegible] है। इस प्रकार प्रतिवादी 01 को रामकुमार उर्फ रामकृपाल दोनों नामों से ही जाना जाता है। [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य से प्रश्नगत वाद भूमि [illegible] प्रतिवादी सं0 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वाद भूमि [illegible] प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाये। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 03 ता 05 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक सुलहनामा व [illegible] के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक सुलहनामा डिग्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि [illegible] के खाता सं0 211/191 [illegible] खसरा सं0 105 की 0.11[illegible] खसरा सं0 614 की [illegible] 3530है0 खसरा सं0 608 की 0.0630है0 [illegible] खातेदारी व इसी प्रकार [illegible] बालकराम के खाता [illegible] की 13.[illegible]है0 [illegible] प्रतिवादी सं 0[illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार उर्फ रामकृपाल की बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्त[illegible] घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 03 ता 05 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 01 व 02 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन [illegible] को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन [illegible]

सहायक कलक्टर (कोर्ट [illegible])

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:42 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 01 महेन्द्रसिंह व प्रतिवादी सं0 01 रामकुमार उर्फ रामकुवार प्रतिवादी सं0 02 राजेश को वहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26-02-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:42 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 230/2018

1. महेन्द्रसिंह पुत्र रामकुमार उर्फ रामकुवार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– वादी

बनाम

1. रामकुमार पि0मु0 मन्नुराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. राजेश पुत्र रामकुमार उर्फ रामकुवार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. विमला पुत्री रामकुमार उर्फ रामकुवार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
4. हरदेवी पुत्री रामकुमार उर्फ रामकुवार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
5. रोशनी पुत्री रामकुमार उर्फ रामकुवार जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
6. एमजीबी शाखा अनुपशहर जरिये शाखा प्रबन्धक एमजीबी अनुपशहर भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दीवानसिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री योगेश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं0 211/197 के खसरा स0 105 की 0.1140है0 खसरा स0 121 की 4.4900है0 खसरा स0 414 की 2.3530है0 खसरा स0 608 की 0.0630है0 कुल 7.0200है0 बारानी खातेदारी व इसी प्रकार रोही मालकस के खाता सं0 121/113 के खसरा स0 93 की 13.4940है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं 01 रामकुमार उर्फ रामकुवार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार उर्फ रामकुवार की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 01 व 02 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादीया स0 03 ता 05 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 व 02 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 महेन्द्रसिंह व प्रतिवादी सं0 01 रामकुमार उर्फ रामकुवार प्रतिवादी सं0 02 राजेश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26-...-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



Scanned with CamScanner